

मूडीज ने भारत की रेटिंग बीएए3 पर बरकरार रखी

सुधरते राजकोषीय मानकों को किया शामिल
उच्च ऋण भार में धीरे-धीरे कमी आएगी - मूडीज

नई दिल्ली, 29 सितंबर (वार्ता) साख निधारक एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को भारत की दीर्घकालिक रेटिंग (विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता के रूप में) और स्थानीय मुद्रा में वरीय असमिक्वॉर्ड रेटिंग को बीएए3 पर बरकरार रखा है, उसने देश की अन्य अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी पी-3 पर यथावत रखा।

साथ ही स्थिर दृष्टिकोण भी बरकरार रखा। स्थिर दृष्टिकोण में



भारत के धीरे-धीरे सुधरते राजकोषीय मानकों और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मजबूत विकास संभावनाओं को शामिल किया गया है। भारत की दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा (एलसी) बॉन्ड सीमा ए2 पर अपरिवर्तित बनी हुई है, और इसकी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा (एफसी) बॉन्ड सीमा ए3 पर

अपरिवर्तित बनी हुई है। मूडीज ने कहा कि भारत को मौजूदा ऋण शक्तियां, जिनमें उसकी विशाल, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति और चालू राजकोषीय घाटे के लिए स्थिर घरेलू वित्तपोषण आधार शामिल हैं, बनी रहेंगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ये ताकतें प्रतिकूल बाहरी रूझानों के प्रति लचीलापन प्रदान

करती हैं, खासकर जब उच्च अमेरिकी (एए1 स्थिर) टैरिफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत उपाय भारत को विनिर्माण निवेश आकर्षित करने की क्षमता में बाधा डालते हैं। एक मजबूत जोडीपी वृद्धि और क्रमिक राजकोषीय अनुशासन से सरकार को उच्च ऋण भार में धीरे-धीरे कमी आएगी। मूडीज ने कहा, एलसी सीलिंग और जारीकर्ता रेटिंग के बीच चार अंकों का अंतर मामूली बाहरी असंतुलन को दर्शाता है। चालू खाता घाटा सीमित है लेकिन लगातार बना हुआ है, अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत बड़ी सरकारी उपस्थिति है और सरकारी नीतियों को मध्यम पूर्वानुमान शौलता और विश्वसनीयता कम है।

अमेरिकी आयात शुल्क के प्रभाव और इशारा करते हुए मूडीज ने कहा, अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ (वर्तमान में 50 प्रतिशत, जबकि अन्य एशिया-प्रशांत देशों पर 15-20 प्रतिशत टैरिफ दे रहे लागू हैं) लगाने से निकट भविष्य में भारत की आर्थिक वृद्धि पर सीमित नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एए-1बी वीजा शुल्क वृद्धि पर भविष्य की नीतिगत प्रभावों की ओर इशारा करते हुए मूडीज ने कहा, हमें उम्मीद नहीं है कि अन्य अमेरिकी नीतिगत बदलाव, जिनमें कृशल श्रमिक वीजा के लिए नये आवेदन और विदेशों में परिचालन आउटसोर्स करने वाले अमेरिकी व्यवसायों पर सभाविट शुल्क शामिल हैं।

आरबीआई रेपो रेट रख सकता है स्थिर: रिपोर्ट

मौद्रिक नीति समिति में विकास और वैश्विक जोखिमों पर संतुलन की तैयारी
अगस्त में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फूर्ति बढ़कर 2.07% पर



राजनीतिक तनाव शामिल हैं।

नई दिल्ली, 29 सितंबर एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर बनाए रख सकता है। यह फैसला मुख्य रूप से महंगाई दर के नियंत्रण में रहने और विकास दर के मोर्चे पर बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता से प्रेरित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फूर्ति अगस्त में हल्की बढ़कर 2.07 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह 1.61 प्रतिशत थी। हालांकि, यह वृद्धि दस महीने से जारी महंगाई में

कमी की प्रवृत्ति को तोड़ती है, लेकिन मुद्रास्फूर्ति अभी भी आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कमी नीचे और अनुमत सीमा के भीतर बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि के कारण यह उछाल आया, लेकिन सरकार द्वारा किए गए हालिया जीएसटी सुधारों के चलते आने

वाले महीनों में खुदरा कीमतों में कमी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्रीय बैंक अपने दिशानिर्देशों में तटस्थ रख बनाए रख सकता है। आरबीआई आर्थिक विकास को समर्थन देने की अपनी प्राथमिकता और कीमतों को स्थिर रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगा।



सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज ने भारत में रखा कदम

गुजरात स्थित स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज संपादनाई होगी
भारत सरकार की स्थानीय जहाज निर्माण पहल को मिलेगा कोरियाई सहयोग

नई दिल्ली, 29 सितंबर कोरियाई जहाज निर्माण कंपनी सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज ने सोमवार को भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में अपनी आधिकारिक एंट्री की घोषणा की है। यह प्रवेश गुजरात स्थित स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी के माध्यम से हुआ है। यह कदम भारत सरकार की स्थानीय जहाज निर्माण को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी पहल में कोरिया की बड़ी भागीदारी को मजबूत करेगा।

2047 तक शीप 5 देशों में शामिल होने का लक्ष्य
भारतीय सरकार का लक्ष्य 2047 तक दुनिया के शीप पांच जहाज निर्माण देशों में से एक बनना है और अगले दशक के भीतर 1,000 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, भारत कोरियाई जहाज निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर उत्पादन के लिए आकर्षित कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उच्च पदस्थ भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जहाज निर्माण में सहयोग पर चर्चा करने के लिए सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज की जियोजे सुविधा सहित प्रमुख कोरियाई शिपयार्ड का दौरा किया था।

भारतीय यात्रियों के लिए उड़ान शुरु करेगी स्पाइसजेट

नयी दिल्ली. किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट दिल्ली और मुंबई से थार्लैंड के सबसे बड़े द्वीप फुकेट के लिए दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ान शुरू करेगी। दिल्ली से फुकेट के लिए उड़ान 1 अक्टूबर से और मुंबई से 6 नवंबर से शुरू होगी। बैंकोंक के लिए वह पहले से सेवा प्रदान कर रही है। स्पाइसजेट के मुख्य व्यवसाय अधिकारी देवोजो महर्षि ने कहा,

हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय अवकाश स्थलों में से एक, फुकेट को अपने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल करके उत्साहित हैं। दिल्ली और मुंबई से नॉन-स्टॉप उड़ानों के साथ स्पाइसजेट भारतीय यात्रियों के लिए थार्लैंड के प्राचीन समृद्ध तटों, जीवों संस्कृति और गर्मजोशी को आतिथ्य का आनंद लेना पहले से कहीं अधिक आसान बना रहा है।

भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा

नई दिल्ली, 29 सितंबर. भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर सैलानियों की संख्या 0.07 प्रतिशत घट गयी। यूरोप में महज 1.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पश्चिम मध्य रेल
सुखी ई-निविदा सूचना
क्र. भोपाल/टीआरसी/डाईंग/डब्ल्यू.सी./462 दिनांक: 28.09.2025
वरि. मंडल विद्युत इंजी./टीआरडी/पश्चिम मध्य रेल, भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक 22.10.2025 को 15:30 बजे तक ई-टेंडर आमंत्रित करने हैं। संपूर्ण निविदा प्रारंभ तथा निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। इस टेंडर के लिये कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है।
निविदा क्र.: बीपीएल/टीआरडी/डीआरजी/डब्ल्यू.सी./462, कार्य का विवरण: भोपाल डिवीजन (इलेक्ट्रिकल डीआरजी वर्क), कार्य समाप्त करने की अवधि: 04 माह, अनुमानित लागत रु. में: 59.81,087.47, ई फरम की सं. में: 1,19,600.00, जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय: 21/10/2025 को 11:00 बजे तक।
वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरडी) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

पश्चिम मध्य रेल
सुखी ई-निविदा सूचना दिनांक 29.09.2025
उप मुख्य अभियंता/गति शक्ति/पश्चिम मध्य रेल भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक 22.10.2025 को 15:30 बजे तक ई-टेंडर आमंत्रित करने हैं, जो उसी दिनांक को 15:30 बजे खोली जायेगी। संपूर्ण निविदा प्रारंभ तथा निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं उप मुख्य अभियंता/गति शक्ति/पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। इस टेंडर के लिये कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। तथा ऐसा कोई मैन्युअल ऑफर प्राप्त होता है, तो भी वह मान्य नहीं किया जायेगा। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। निविदा सूचना संख्या: CPM-GSU-BPLT-11/2025, दिनांक: 26.09.2025, कार्य का नाम लोकेशन सहित: बीना याई रीमॉन्डिंग के संबंध में बीना याई में रेल की फ्लेश बट वेडिंग और ए टी वेडिंग की आपूर्ति और निषादन का कार्य अधीन गति-शक्ति मंत्रित भोपाल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे, निविदा की अनुमानित लागत रु. : ₹ 7949683.93, निविदा की बंधना राशि रु. : ₹ 195000.00, निविदा प्रारंभ का मूल्य रु. : ₹ 0.00, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 22.10.2025
उप मुख्य अभियंता (गति शक्ति) पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल

पश्चिम मध्य रेल
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्र-इटी/टीआरएस/डब्ल्यू.सी./14/25-26 दिनांक: 27.09.2025
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टी.आर.एस.), विद्युत लोको श्रेय, पश्चिम मध्य रेल, न्यू यार्ड, इटारसी, भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 24.10.2025 को 15:00 बजे तक ई-टेंडर निम्नानुसार आमंत्रित करते हैं:-
ई-निविदा क्रमांक: इटी/टीआरएस/डब्ल्यू.सी./14/25-26, कार्य का नाम लोकेशन सहित: "रियर/रिडिस्ट्रिब्यूटिंग ऑफ 1750 एलपीएम कम्पैरसर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स", निविदा की अनुमानित लागत रु. : ₹ 11,62,91,826.09, बंधना राशि रु. : ₹ 7,31,500/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि: 36 माह। नोट: 1. ई निविदा प्रारंभ एवं ई-निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। 2. निविदा क्रमांक इटी/टीआरएस/डब्ल्यू.सी./14/25-26 के "निम्नलिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए" डिफिनेशन ऑफ सिविलर नेबर वर्ड" इस प्रकार है: "मेयूफैक्टरी/सलाई/रिपेयर/रिडिस्ट्रिब्यूटिंग/एलपीएम/ओवरहालिंग ऑफ नैन कम्पेसर ऑफ बी.जी. इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स/डीजल लोकोमोटिव्स/इयूएम/मेयू/डेयू/रिडिस्ट्रिब्यूटिंग मेयू"।
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर(टीआरएस) विद्युत लोको श्रेय, इटारसी
स्थान: भोपाल, दिनांक: 30.09.2025 एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।

HDFC BANK
शाखा: अलारका टॉवर, लोधीपारा रोड, शंकर नगर, रायपुर, फोन : 0771-4243149/240 CIN L58920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com
मांग - सूचना
वित्तीय संघर्षों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ें।
जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का माननीय एनपीएलटी-मुंबई द्वारा दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित सामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) का प्राधिकृत अधिकारी है। वित्तीय संघर्ष और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए, एक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग प्रस्तुत किया गया है, यहाँ नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों से संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग नोटिस/नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी ने इन नोटिसों को उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है। उक्त नोटिस की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों, यदि चाहें तो, किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य कार्यालय समय।
उधारकर्ता के संबंध में, एक बार उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचडीएफसी को भुगतान करें। यहां नीचे दी गई राशियां उनके संबंधित नामों में अतिरिक्त ब्याज के साथ दी गई हैं। जैसा कि उक्त हिमामंड नोटिस में बताया गया है, नीचे कॉलम (सी) में उल्लिखित संबंधित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, ऋण समाप्त और उक्त उधारकर्ता द्वारा निषादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाए। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित वस्तुओं की क्रमशः एक उधारकर्ता द्वारा एचडीएफसी के पास निवेशी रखा गया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश 462003।
श्री आर्य सुकेश कुमार, द्वारा-मुकौम अहमद, ब्लॉक नंबर-जी/2, प्लेट नंबर-08, चौहान टाउन, फेज-2 (भाग-2) जनवनी, सेक्टर 5 - मिलाई, दुर्ग-छत्तीसगढ़, पिन - 490006 - भारत।
श्री आर्य सुकेश कुमार, भारतीय टेलीमोबिलिटी लिमिटेड, रायपुर, नवभारत उद्योग पठन, तेलीबांघा रायपुर एम.ए. - 490006।
श्रीमती राय सोनी, द्वारा-मुकौम अहमद, ब्लॉक नंबर-जी/2, प्लेट नंबर-08, चौहान टाउन, फेज-2 (भाग-2) जनवनी, मिलाई, सेक्टर 5 - दुर्ग-छत्तीसगढ़, पिन - 490006 - भारत।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र. 3182, 319, 320/2, 321/2, ग्राम कटारा, प.ह.नं. 25, तहसील हुजुर, भोपाल मध्य प्रदेश।
*अतिरिक्त ब्याज के साथ। भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित ब्याज, सामन, शुल्क जैसा लागू हो आदि।
यदि उक्त उधारकर्ता उधुर्क के अनुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से जोखिम में है। उक्त उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) को लागू और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के एक अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अबल संपत्ति को समाप्त और परिणाम के बारे में उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात संबंधित पते पर परिपत्र में थिपकाया है।
सुरक्षित वस्तु को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
क्र. क्रणी/जमानतदार का नाम एवं पता
बकाया राशि मांग सूचना तिथि बंधक संपत्ति का विवरण
(अ) (ब) (स) (द) (इ)
1. श्री आर्य सुकेश कुमार, प्लेट नंबर 502, 5वीं मंजिल, प्राइड सिटी, ब्लॉक पी-2, स.क्र